प्रति,

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,

कार्यालय जिला कलेक्टर बालाघाट

तहसील व जिला बालाघाट

आवेदकगणः–1– रतिराम सिरसाम पिता छोटेलाल सिरसाम,

2– रामोबाई गेडाम, पति हिरदु गेडाम,

3– कंकरलाल सिरसाम, पिता सेहतर सिरसाम

4– तिलकचंद मडावी पिता शेरसिंह मडावी,

5– तीजुलाल इडपाचे, पिता गेंदलाल इडपाचें,

सभी निवासी ग्राम डोंगरबोडी, तहसील लामता जिला बालाघाट

6– मनीराम टेकाम पिता धर्मसिंह टेकाम

निवासी ग्राम पांडेवाडा, तहसील लामता, जिला बालाघाट

7– धनवंती इडपाचें, पति संतोष इडपाचे,

निवासी ग्राम मौरिया, तहसील लामता, जिला बालाघाट

अनावेदक– सतानंद द्विवेदी, पिता नामालुम,

निवासी वार्ड कमांक–8, लामता, तहसील लामता, जिला बालाघाट

आवेदन पत्र वास्ते अनावेदक द्वारा हम गरीब आदिवासी समाज के व्यक्तियों की पैतृक संपत्ति पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते हुए जान से खत्म करने की धमकी दिए जाने बाबद।

महोदय,

निवेदन है कि हम आवेदकगण उपरांकित स्थान के स्थायी निवासी है, एवं अपने पुर्वजो के जमाने से उपरोक्त स्थान पर स्थायी रूप से निवासरत है। हम सभी आवेदकगण मजदुर वर्ग के व्यक्ति है, जो कि अपनी पैतृक संपत्ति पर कृषि कार्य कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते है।

हम आवेदकगण की पैतृक कृषि भूमि ग्राम पांडेवाडा (माल एवं रैयत) मे स्थित है। हमारे पुर्वजों को शासन द्वारा उक्त स्थान पर बसाया गया था। हमारी कृषि भूमि प0ह0कमांक–16, रानिम लामता स्थित कृषि भूमि कमशः खसरा कमांक– 59/2, 11, 48, 53/1, 53/2, 56/6, 85, 96, 99, 108, 75, 79, 17 जो कि लगभग 45 एकड कृषि भूमि है, जो कि हमारे पुर्वजों के नामें राजस्व प्रलेखों में दर्ज चली आ रही थी, जिस पर हमारे पुर्वजं बाद मे हम सभी आवेदकगण के द्वारा निरंतर कृषि कार्य किया जाता रहा है।

Scanned with OKEN Scanner

विगत कुछ वर्ष से उपरोक्त अनावेदक के द्वारा हमारी कृषि भूमि पर आकर जबरन हमें धमकाते हुए उपरोक्त कृषि भूमि को अपना बताते हुए हमें बेदखल करने का जबरन प्रयास कर रहा है, जिसे समझाए जाने पर अनावेदक के द्वारा अपने गुंडे बुलाकर हमारी जमीन की फसल नष्ट कर जमीन पर कब्जा करने की धमकियां देता आ रहा है। उक्त व्यक्ति के द्वारा लगातार हमसे पैसों की मांग की जाती है, जबकि हमारी जमीन मे खेती का पैसा हम उक्त व्यक्ति को दे, परंतु उक्त व्यक्ति के द्वारा लगातार हमे धमकाए जाने से हम अत्यंत प्रताडित है।

उक्त व्यक्ति द्वारा हमारी बहुमुल्य जमीन को अपना बताने के चलते हमारे द्वारा लाता तहसील में जाकर अपनी जमीन के मालिकाना हक की जानकारी ली तब हमे पता चला कि हमारी उपरांकित जमीन किसी बंसतीबाई पति स्व0 घनश्यामदास, पुत्र सुनील, रजनीश, मानसी अनमोल पिता सतीश जाति बनिया निवासी आमगांव जिला गोंदिया महा. के नामें राजस्व प्रलेखो में दर्ज दिखाई दे रही है, जबकि हमने अथवा हमारे किसी भी पुर्वज नें कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को अपनी जमीन न तो बेची है, न ही जमीन बेचने का कोई सौदा ही किया है। अनावेदक के द्वारा दी जा रही धमकियों से हमें लग रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा हमारी अशिक्षा का फायदा उठाकर हमारी जानकारी के बिना शासकीय कर्मचारियों से मिली भगत कर हमारी जमीन को अपने नाम पर दर्ज करा लिया गया है।

अतः महोदय से निवेदन है कि अनावेदक के द्वारा हमारी संपत्ति को हडपने के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने एवं हमें अनावेदक से सुरक्षा दिलाए जाने की कृपा करे।

बालाघाट

दिनांक–26.05.2026

आवेदकगण

धनवंती